न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर./6409/2006/श्रीगंगानगर

प्रयाग चन्द पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार, निवासी सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

-- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

-- अप्रार्थी

एकल-पीठ

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थिति :-

(1) श्री अभिषेक छाबडा अभिभाषक प्रार्थी।

(2) श्री शौकिन्द लाल गूर्जर ,उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 22.09.2020

हस्तगत निगरानी धारा 84 एवं 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-8-2006 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को उपनिवेशन तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 466/10 में 6-325 हैक्टेयर भूमि उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी, जिसका

समय समय पर प्रार्थी के नाम नवीनीकरण होता रहा किन्तु तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवंटन खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी को उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टी.सी.) पर दी गई थी जिसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त नियमों की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है और बिना किसी कारण के अंकित किये विधि विरुद्ध तरीके से आवंटन को खारिज कर दिया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि भूमि को पैराफेरी क्षेत्र में आना मानते हुये आवंटन को निरस्त किया गया है किन्तु इसके लिये प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है और ना ही इसे स्पष्ट रुप से उल्लेखित करते हुये रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है बल्कि पूर्व से प्रिण्टैड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुये आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि न्यायिक विवेक का सदुपयोग किये बिना प्रार्थी को नोटिस दिये एवं विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। उनका तर्क है कि जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 4, 6 व 7 के अनुसार निस्तारण के लिए कारण सहित (रीजण्ड) एवं स्पीकिंग निर्णय आवश्यक है। उनका यह भी कथन है कि निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई पट्टा काश्त) नियम 1955 की शर्त संख्या 6 (4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा। शर्त संख्या 19 (1) (5) के तहत अभिधृति के पर्यवसान के प्रावधान दिये गये है। नियम 19–ए की शर्त की अनुपालना नहीं करने में पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर में निहित है, तहसीलदार को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, अतः तहसीलदार का आदेश स्पष्ट रुप से क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुये पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त

में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ द्वारा दिनांक 31–8–2006 को पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुये दुरुपयोग करते हुये पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय निगरानी संख्या 807/2009 निर्णय दिनांक 09–3–2017, उनवानी शरफूदीन बनाम सरकार, 6410/2006 उनवानी मोती सिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17–1–2018, उद्धरित किये।

5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 8–2–2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, उसका न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और ना ही इस पर खातेदारी प्रदत्त की जा सकती है। पटवारी हल्का द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नगत भूमि पैराफेरी क्षेत्र में आ चुकी है, जिस पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये नवीनीकरण प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत तरीके से तय किया गया है और वेस्टलैण्ड हेतु बने नियमों के तहत उक्त रकबा को सही प्रकार से खारिज किया गया है। आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता या क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने जैसी भूल नहीं है। निगरानी के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुये उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से उद्धरित माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णयों का भी अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी को उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टी.सी.) पर दी गई थी और समय समय पर इसका नवीनीकरण होता रहा है। राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा)

शर्त, 1955 के तहत वे स्थितियां दी गई हैं जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्हीं नियमों के तहत नियम (v) के आगे अंकित किया गया है कि "तो कलेक्टर पट्टे को कभी समाप्त कर सकेगा और इसके पश्चात् ऐसी भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा" । इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई काश्त खारिज करने की शक्तियां कलैक्टर में निहित हैं ना कि तहसीलदार में। स्पष्ट है कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा पूर्व से प्रिण्टैड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुये आक्षेपित आदेश के तहत अस्थाई काश्त आवंटन को खारिज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुये कार्यवाही की है, जो कि समर्थन योग्य नहीं है। अतः निगरानी में सार होने से आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–2006को निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नियमानुकूल निर्णय पारित करें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक ..... को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)

सदस्य

प्रश्नगत भूमि का आवंटी खातेदार रामाराम था, जिसका देहान्त होने पर तहसीलदार, करणपुर ने आदेश दिनांक 31–10–2001 के द्वारा विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थीगण के नाम तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया है। रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड करने में विधिक भूल की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि नामांतरकरण विवादित होने से अपील सम्भागीय आयुक्त को प्रस्तुत होनी चाहिए थी, अतः अपील को परीक्षण कर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ अतिरिक्त कलक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल की है। मियाद के बिन्दु पर भी कोई निर्णय नहीं किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो आदेशों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई थीं और दोनों ही अपीलों में वाद हेतुक व विषय वस्तु पृथक–पृथक रहे हैं अतः दोनों को एक साथ निर्णित नहीं किया जा सकता था। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में विरासत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है और प्रत्यर्थीगण को इसमें किसी प्रकार के स्वत्व हासिल नहीं होते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–5–2004 निरस्त कर तहसीलदार, करणपुर के आदेश दिनांक 31–10–2001 को बहाल रखा जाये।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया था कि आवंटित भूमि पूर्व में चरनोट की भूमि रही है किन्तु प्रश्नगत भूमि कभी भी चरनोट भूमि नहीं रही है बल्कि आवंटन से पूर्व बिलानाम भूमि अंकित है और अपीलार्थीगण की पात्रता का विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त ही आवंटन कमैटी द्वारा आवंटन किया गया था, जिसकी पालना में भूमि आवंटीगण के नाम रिकार्ड में अंकित की जा चुकी है। जिला कलक्टर, प्रतापगढ द्वारा प्रकरण में विधिवत परीक्षण उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) को दिनांक 27-12-2010 को खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उनके समक्ष अपील में रहे अपीलार्थीगण का प्रकरण में किसी प्रकार से हित निहित नहीं है और उनका भूमि से कोई सरोकार नहीं है, प्रकरण में अविधिक रुप से आदेश पारित कर जिला कलक्टर के आदेश को अपास्त कर दिया गया है। योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष रैस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, सिविल प्रकिया संहिता के तहत दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे जिन्हें रिकार्ड पर लिया गया और रैस्पो0-वर्तमान अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का रिबटल का अवसर प्रदान नहीं किया गया। योग्य अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय का आधार यह बनाया है कि आवंटीगण का विगत 4 वर्षो की कब्जा का प्रमाण पेश नहीं किया गया है किन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि आवंटन उपरान्त आवंटीगण के पक्ष में गैर खातेदारी प्रदान की गई है और समस्त जांच उपरान्त ही खातेदारी प्रदान की गई है, कब्जा होने की स्थिति में ही गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई है। अतः इस आधार पर आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता है। आवंटन से पूर्व भूमि किस्म बंजड सिवाय चक पर अपीलार्थीगण का 30-40 वर्ष पुराना कब्जा रहा है और आवंटीगण के विरुद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही भी चली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आवंटन प्रकिया व आवंटन को विधिवत होना माना है किन्तु निर्णय

के अंत में आवंटन को विधि विपरीत होना मानते हुये खारिज कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में तथ्यों सम्बन्धी व कानून सम्बन्धी त्रुटि होने से, हस्तगत अपील को स्वीकार कर जिला कलक्टर, प्रतापगढ के निर्णय को यथावत बहाल रखा जाये।

अपीडी/टि.ए./1646/2009/सीकर

1– अरनेश

–– अपीलाण्ट

बनाम

भगवाना

–– रैस्पोण्डेण्ट

एकल–पीठ

श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :–

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी

(2) श्री भवानी सिंह, अभिभाषक रैस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांकः .....

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 20-01-2009 को प्रकरण संख्या 44/2007 उनवानी अनरेश बनाम भगवाना में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण-अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिवादी-रैस्पो0 के विरुद्ध वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम खरसाडू स्थित आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 2-81 है0 का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। खसरा नम्बर 121, 122 व 124 के पुराने खसरा नम्बर 68 थे। पुराने नक्शे व राजस्व रिकार्ड में नक्शे में प्रदर्शित ए बी डौटेड लाईन से प्रदर्शित रास्ता नहीं था किन्तु भू प्रबन्ध कर्मियों ने बिना किसी नोटिस व सूचना के ए बी डौटेड लाईन से रास्ता प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जो कि हजफ किये जाने योग्य है। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 2-81 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये, प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बर में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने व नवीन रास्ता कायम करने से पाबन्द किया जाये और थे।

खसरा नम्बर 124 के राजस्व रिकार्ड में नक्शे में प्रदर्शित ए बी डौटेड लाईन से प्रदर्शित रास्ता को रिकार्ड से हजफ किया जाये। प्रतिवादी–रैस्पो0 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारान ने अपनी सुविधा के अनुसार इकरारनामा दिनांक 13–6–1991 को किया था जिसके अनुसार 8 हाथ चौडा मार्ग वादी ने बरंग हरा प्रतिवादी ने अपनी भूमि में से खोल दिया और उसकी एवज में खसरा नम्बर 123 का उत्तरी ओर का बराबर का भू भाग खसरा नम्बर 122 अपनी भूमि में मिला लिया। वादी ने रिकार्ड में अंकित बरंग सुर्ख रास्ता पर काश्त कर ली है और अब बरहंग हरे रास्ते को भी बन्द करना चाहता है। अतः दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाये। उपखण्ड अधिकारी, सीकर ने निर्णय दिनांक 30–03–2007 से वादी का वाद खारिज किया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 20–01–2009 को अपील खारिज की है। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि

आराजी स्थित रामसरा कुम्हारान के मु0नं0 142 के किला नम्बर 1 से 10 रकबा 2.530 है0 सम्वत् 2046 से अपीलार्थीगण के पिता जगतार सिंह की टी.सी. आवंटन में रही है तथा इसके उपरान्त अपीलार्थीगण की माता जसविन्द्र कौर बेवा जगतार सिंह के नाम सम्वत् 2051 से टी.सी.

पर आवंटित होती रही है। अपीलार्थीगण की माता जसविन्द्र कौर द्वारा दूसरी शादी करने से सम्वत् 2064 में अपीलार्थीगण के पक्ष में टी.सी. आवंटन किया गया है। तहसीलदार, रायसिंह नगर की रिपोर्ट दिनांक 28–4–2007 के अनुसार भी अपीलार्थीगण के पक्ष में टी.सी. आवंटन की पुष्टि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पिता जगतार सिंह, अपीलार्थीगण की माता जसविन्द्र कौर बेवा जगतार सिंह तथा इसके बाद अपीलार्थीगण के पक्ष में टी.सी.आवंटन किया गया है जो 2046 से माना जायेगा। स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में टी.सी. आवंटन निरंतर चला आ रहा है किन्तु उप जिला कलक्टर ने रिकार्ड के विपरीत इस आशय का मत पारित किया है कि अपीलार्थी के पक्ष में टी.सी. आवंटन 1–1–1995 से पूर्व का होना नहीं पाया जाता है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 4/24/उप/99 के अनुसार अस्थाई काश्तकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वारिसान को आावंटन किया जा सकता है। आराजी काश्त नियम 1955 के नियम 17 के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्य होने के नाते विवादित भूमि का टी.सी. आवंटन अपीलार्थीगण के पिता के टी.सी. आवंटन से ही माना जायेगा और इस प्रकार अपीलार्थीगण के पक्ष में पुख्ता आवंटन किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में व उसके बाद माता के पक्ष में तथा उसके बाद अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई आवंटन रहा है। अस्थाई लीज को निरस्त नहीं किया जा सकता है और ना ही नियमों के तहत पुख्ता आवंटन से इन्कार किया जा सकता है जैसा कि न्याय दृष्टान्त 1993 आर.आर.डी. पेज 569 (एस.सी.) में व्यवस्था दी गई है। राजस्थान उप निवेशन (गंगानगर क्षेत्र में भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 7 के अन्तर्गत भूमि आवंटन में प्रथम वरीयत टी.सी. आवंटी को दी जाने का प्रावधान है। अपीलार्थीगण के पिता, माता व अपीलार्थी के पक्ष में टी.सी. आवंटन होने से अपीलार्थीगण के पक्ष में पुख्ता आवंटन किया जाना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी

कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जायें।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थीयान के नाम 1–1–1995 से पूर्व का अंकन नहीं होने से टी0सी0 से पुख्ता आवंटन नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि पूर्व में यह भूमि प्रार्थीगण के पिता व माता के नाम रहीं है, प्रार्थीगण के नाम नहीं। अस्थाई काश्तकार के फौत होने के उपरान्त नये सिरे से टी.सी. आवंटन किया जा सकता है, अपीलार्थीगण का प्रकरण टी.सी. से पुख्ता आवंटन का नहीं बनता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिवत पुष्टि की है। दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं और जहॉ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की कानून सम्बन्धी भूल नहीं हो वहॉ द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि आराजी स्थित रामसरा कुम्हारान के मु0नं0 142 के किला नम्बर 1 से 10 रकबा 2.530 है0 सम्वत् 2046 से अपीलार्थीगण के पिता जगतार सिंह की टी. सी. आवंटन में रही है तथा इसके उपरान्त अपीलार्थीगण की माता जसविन्द्र कौर बेवा जगतार सिंह के नाम सम्वत् 2051 से टी.सी. पर आवंटित होती रही है। अपीलार्थीगण के पक्ष में सम्वत् 2064 में टी.सी. आवंटन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में जो टी.सी. आवंटन होना बताया है वह रजिस्टर नहीं है और ना ही इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि यह टी.सी. कब मन्जूर हुआ है। प्रावधानों के

अनुसार अस्थाई काश्त हेतु दी गई भूमि का आवंटन निर्धारित समय अवधि के उपरान्त स्वतः ही निरस्त हो जाता है और इस पर काबिज व्यक्ति की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की रह जाती है और यदि अस्थाई आवंटी को किसी प्रकार का स्थाई आवंटन नहीं किया गया है तो इस प्रकार की भूमि ''अन–ऑकूपाइड'' भूमि मानी जायेगी और आवंटन के पात्र व्यक्ति को इस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के पिता जगतार सिंह की टी.सी. आवंटन तथा इसके उपरान्त अपीलार्थीगण की माता जसविन्द्र कौर बेवा जगतार सिंह के नाम टी.सी. पर आवंटित भूमि पर उनके वारिसान को पुख्ता आवंटन कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा जो न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं, उनका हमारे द्वारा ससम्मान अध्ययन किया गया। इनके आधार पर अपीलार्थीगण को आवंटन कराने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है क्योंकि टी.सी. आवंटन को पुख्ता आवंटन करने का अधिकार सम्बन्धित आवंटन अधिकारी का है जिसके द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त निर्णय लिया जाना होता है और उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर ने आदेश दिनांक 27–8–2007 से टी0सी0 से पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज किया है यह आदेश प्रकरण के तथ्यों में पूर्णतया विधिसम्मत है और प्रस्तुत किये गये न्यायिक दष्टान्त प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। उप जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 27–8–2007 को अधीनस्थ विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 14–08–2008 से सही प्रकार से पुस्ट किया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं जिनमें पृथक से कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है। अतः समवर्ती निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेन उचित प्रतीत नहीं होता है जैसा कि 2002 आर.आर.डी पेज 52 उच्च न्यायालय, 2007 आर.आर.डी पेज 587 उच्च न्यायालय, 1980 आर.आर.डी. पेज 750 तथा 2001 एआईआर एससी पेज 2282 में अभिनिर्धारित किया गया है। फलतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)

सदस्य

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 4/24/उप/99 में अंकित किया हैः– "राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 की शर्त 4(एफ) में काश्तकार (टीनेन्ट) की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारियों को भी सम्मलित किया गया है।" इसी में आगे अंकित किया गया है "अस्थाई काश्तकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वारिसान को आवंटन किया जा सकता है।"

न्याय दृष्टान्त 1993 आर.आर.डी. पेज 569 (एस.सी.) खण्डपीठ में ब्रजलाल बनाम बोर्ड आफ रैवेन्यू व अन्य में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :–

त्रेंजींद ब्वसवदपेंजपवद ;।ससवजउमदज ंदक ैंसम व िळवअजण् स्ंदक पद त्रेंजींद ब्ंदंस ब्वसवदल ।तमंद्ध त्नसमेए 1975 . च्मतउंदमदज ंससवजउमदज व िसंदक . ।चचमससंदज ेू ीवसकपदह जमउचवतंतल ंससवजउमदज . च्मतउंदमदज ंससवजउमदज तमनिेमक वद जीम हतवनदक जींज ीमेूं ं उपदवत ंदक ींक हपअमद सिंम कमबसंतंजपवद ंज जीम जपउम व िजमउचवतंतल ंससवजउमदज व िसंदक . ।नजीवतपजपमे तमरमबजमक जीमैबीववस ंदक डमकपबंस ड्ड ब्मतजपपिबंजमे पद ेनचचवतज व िीपे ंहम . ज्मउचवतंतल समेेंम दमअमत बंदबमससमक . भ्मसक जींज ंचचमससंदज इमपदह ृजमउचवतंतल बनसजपअंजपवद समेेंम ीवसकमतश्ए चमतउंदमदज ंससवजउमदज बवनसक दवज इम कमदपमक जव ीपउ नदकमत जीम त्नसमे . ।जिमत उंपदह जमउचवतंतल ंससवजउमदज पद तिअवनत व िंचचमससंदजए पि पज ेू ेवनहीज जव इम बंदबमससमक वद जीम हतवनदक जींज ंचचमससंदज ेू उपदवत ंज जीम जपउम व िंससवजउमदजए जीमद जीम वदने ेू वद जीम ।नजीवतपजपमे जव ीवू जींज जीम ंचचमससंदज ींक उंकम उपेतमचतमेमदजंजपवद तमहंतकपदह ीपे ंहमण

राजस्थान उप निवेशन (गंगानगर क्षेत्र में भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 7 (ए) के अन्तर्गत भूमि आवंटन में प्रथम वरीयत टी.सी. आवंटी को दी जाने का प्रावधान है।

8– फलतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 4–2–2006 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें प्रति प्रेषित किया जा कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारण करें। उभय पक्ष दिनांक ..... को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त 1992 आर.आर.डी. पेज 431 प्रस्तुत कर कथन किया कि पिता की टी.सी. के आधार पर पुत्र द्वारा रिन्यूवल नहीं कराया जा सकता है और त्रैंजींद ब्वसवदपेंजपवद ;ज्मउचवतंतल ब्नसजपअंजपवद समेंमेद्ध ब्वदकपजपवदेए 1955 नियम 18 के तहत लीज पीरियड समाप्त होने के बाद टी.सी. स्वतः समाप्त हो जाती है, अतः प्रार्थी को किसी प्रकार का आवंटन अधिकार पिता के टी.सी. आवंटन के आधार पर प्राप्त नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त 2006 आर.आर.टी. (1) पेज 406 उच्च न्यायालय (डीबी) प्रस्तुत की और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं और उक्त निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से निगरानी के सीमित स्कोप के अंतर्गत इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये।

पत्रावली के अवलोकन से ये भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पिता के पक्ष में अस्थाई आवंटन किया गया था और प्रार्थी के पिता के फौत होने के उपरान्त उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है और पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्र को पिता के पक्ष में किये गये टी0सी0 को नवीनीकरण का अधिकार के रुप में प्राप्त नहीं हो कर सकता है। इस बिन्दु पर प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 1992 आर.आर.डी. पेज 431 में स्पष्टतया निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया गया :-

।ण त्रेंजींद ब्वसवदपेंजपवद ।बजए ैमबजपवद 11 . ैमबनतपदह तमदमूंस वि समेंम वित जमउचवतंतल बनसजपअंजपवद इल जीम ेवद पद जीम दंउम वि कमबमेंमक जिीमत ंउवनदजे जव उपेतमचतमेमदजंजपवद ंदक तिंनकण

ठण त्रेंजींद ब्वसवदपेंजपवद ;ज्मउचवतंतल ब्नसजपअंजपवद स्मेंमेद्ध ब्वदकपजपवदेए 1955ए ब्वदकपजपवद 18 . । समेंम वित जमउचवतंतल बनसजपअंजपवद ंनजवउंजपबंससल जमतउपदंजमे ंज जीम मदक वि जीम समेंम चमतपवक . ।द ीमपत जव ं कमबमेंमक ंससवजजमम बंददवज बसंपउ तमदमूंस जीमतमवि ं उंजजमत वि तपहीज . भ्म ेीवनसक ंचचसल वित ं तिमेी ंससवजउमदज वित ीपउेमसि वद उमतपजेण

न्याय दृष्टान्त 2006 आर.आर.टी. (1) पेज 406 उच्च न्यायालय (डीबी) में स्पष्टतया निम्न प्रकार से मंतव्य दिया गया है :-

त्रेंजींद ब्वसवदपेंजपवद ; ळंदह ब्दंस स्ंदक च्मतउंदमदज ।ससवजउमदज -ैसमद्ध त्नसमेए 1956 . त्नसमे 3;8द्ध;इद्ध - 6.। . ज्मउचवतंतल ब्नसजपअंजपवद स्मेंमे ब्वदकपजपवदेए 1955. ब्वदकपजपवद 18;3द्ध . ।ससवजउमदज वि जमउचवतंतल बनसजपअंजपवद समेंम . ट्ंसपकपजल . छव तमदमूंस ंचचसपबंजपवद उंकम ंजिमत मगचपतल वि चमतपवक वि समेंम.ैननततमदकमत वि संदक जव ळवअमतदउमदज पे वइसपहंजवतल . स्ंदक अमेजमक पद ळवअमतदउमदज ंजिमत पजे ेननततमदकमत - बंद इम ंससवजजमक . स्मेंम वित जमउचवतंतल बनसजपअंजपवद ू अंसपकपजल हतंदजमक इनज चमजपजपवदमते सवेज जीमपत तपहीज जव बसंपउ पद चतपवतपजल वद जीम ईपे वि जमउचवतंतल बनसजपअंजपवद समेंम . भ्मसकए ।चचमंस पे कपअवपक वि नइेजंदबम - कमेमतअम जव इम कपेउपेमकण

क्योंकि प्रश्तगश्त भूमि प्रार्थी की स्वयं की टी.सी. की नहीं रही है बल्कि आवंटित भूमि से दीगर भूमि प्रार्थी के पिता की टी.सी. की थी, अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से जो राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 14–7–1977 जो कि उप शासन सचिव, उप निवेशन द्वारा उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर को लिखा गया है तथा जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के पत्रांक 7548 दिनांक 20–6–1991 तथा उप शासन सचिव, उप निवेशन के पत्रांक 5633 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं, उनके आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष निगरानी में प्राप्त नहीं कर सकता है । इसके विपरीत अप्रार्थी के पक्ष में चक 1 डीओ के पत्थर नं. 102/23 के किला नम्बर 1 से 22 के 21.04 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 12–10–1982 को किया गया है और इसके आधार पर खतौनी सम्वत् 2042 में सुच्चा सिंह का नाम बतौर पुख्ता अलौटी भूमिहीन अंकित हुआ है और खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043–46 में काश्त सुच्चा सिंह पुत्र जय लाल सिंह का नाम अंकित है। अतः इसय प्रकार की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–07–2007 न्याय सम्मत तथा तथ्यों पर आधारित है और अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 08–09–2008 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता या क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं किया है। निगरानी का दायर सीमित होता है और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी भूल नहीं होने से एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं होने से आक्षेपित दोनों आदेश, जो कि समवर्ती आदेश हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, फलतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/एल.आर./2532/2005/हनुमानगढ</u>

गुलाब राम पुत्र श्री चांदराम, जाति बावरी, साकिन हरिपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।

-- अपीलाण्ट

<u>बनाम</u>

1- गिरधारी
2- ख्यालीराम
3- कालूराम

पिसरान गोपी, जाति बावरी, साकिन हरिपुरा, ढानी चक 2 व 3 एच.आर.पी. तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।

-- रैस्पोण्डेण्ट

<u>एकल-पीठ</u>

श्री महावीर सिंह, सदस्य

<u>उपस्थिति</u> :-

(1) श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलार्थी

(2) श्री मनीष पण्डया, अभिभाषक रैस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः .....</u>

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 28–07–2004 को प्रकरण संख्या 56/2003 उनवानी गुलाबराम बनाम गिरधारी में पारित निर्णय के विरोध में प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी–अपीलार्थी गुलाबराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 20–8–1986 को इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि चक 2 एच.आर.पी में मु0नं0 46 पत्थर नम्बर 203/115 में कुल रकबा 9 बीघा खातेदारी कब्जे काश्त की है, जिसमें आने–जाने के लिये कोई रास्ता मन्जूर नहीं है। सायल मु0नं0 46 के किला नम्बर 3–4–5 पत्थर नम्बर 203/115 में से होता हुआ अपने किला नम्बर 2 में प्रवेश करता रहा है जो कि गै0सा0 गोपीराम के हैं, जिन्होंने सायल से झगडा कर अपने किलों में से रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा अनुतोष चाहा कि सायल को पत्थर नम्बर 203/115 मु0नं0 46 के किला नम्बर 3–4–5 में से रास्ता दिया जाये। दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 17–7–96 को रैस्पो0 गिरधारी द्वारा इसी मु0नं0 46 के किला नम्बर 18, 19 में जाने हेतु मु0नं0 46 के किला नम्बर 8, 9, 10 की दक्षिणी सीव पर पश्चिम से पूर्व व मिला नम्बर 12 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाये। सहायक कलक्टर, संगरिया ने आदेश दिनांक 21–03–2013 के द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मु0नं. 47 के किला नम्बर 7, 6 मु0नं0 46 के किला नम्बर 10 में दक्षिण दिशा की ओर तथा मु0नं0 46 के किला नम्बर 12 में पश्चिम दिशा की ओर प्रत्येक किला नम्बर में 0.012 है0 रास्ता तथा उक्त दोनों रास्तों को मिलाने के लिये मु0नं0 46 के किला नम्बर 9 में 0.002 है0 का रास्ता स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील

प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 28–7–2004 को अपील को अस्वीकार किया गया। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि चक 2 एच.आर.पी में मु0नं0 46 के किला नम्बर 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 प्रार्थी–अपीलार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की है, इसमें जाने हेतु मुख्य सडक से कोई रास्ता मंजूर नहीं होने से मु0नं0 46 के किला नम्बर 3, 4, 5 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 29–11–89 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किला नम्बर 3, 4, 5 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया। अपील होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 19–3–1965 को प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जिसमें रैस्पो0 गिरधारी द्वारा मु0नं. 46 के किला नम्बर 18, 19 में जाने हेतु रास्ता मांगा। उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के निर्णय दिनांक 19–4–1999 से मु0नं0 47 के किला नम्बर 6, 7 व मु0नं0 46 के किला नम्बर 8, 9, 10, 12 में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया। इसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 27–5–2000 से प्रकरण को रिमाण्ड किया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा चाहे गये किला नम्बर की बजाए मुख्य रास्ते की दूसरी तरफ से मु0नं. 47 के किला नम्बर 6 व 7 में रास्ता अपीलार्थी गुलाब के खेत में जाने हेतु तथा रैस्पो0 गिरधारी को मु0नं0 46 के किला नम्बर 9 व 10 में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व भौतिक स्थिति के विपरीत जाते

हुये पारित किया है, जिसे पुष्ट करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि की है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि मन्जूर शुदा सडक मु0नं0 35 व 46 की पूर्वी सीमा पर हरिपुरा गॉव से हो कर जाती है और इस पर से अपीलार्थी व रैस्पो0 अपने अपने खेतों पर व गॉव जाते हैं। इसी सडक पर अपीलार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 35 में किला 2, 3, 4, 6, 7 स्थित है। दूसरी भूमि मु0नं0 46 के किला नम्बर 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 है । मु0नं0 46 व 35 में जाने हेतु प्रार्थी द्वारा मु0नं0 46 के किला नम्बर 3, 4, 5 में रास्ते हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने मन्जूर शुदा सडक के विपरीत रास्ता स्वीकृत किया है जो मु0नं0 47 के किला नम्बर 6, 7 से आगे नहीं जाता है, इससे अपीलार्थी मुख्य सडक से अपने खेत से दूर हो जाता है। रैस्पो0 की भूमि मु0नं0 35 के किला नम्बर 11, 19, 20 से 24 में तथा मु0नं0 46 के किला नम्बर 3 से 7 व 18, 19 में है। रैस्पो0 की भूमि मु0नं0 35 व 46 की आपस में मिलती है और मुख्य सडक से चिपकी हुई है, केवल किला नम्बर 18 व 19 में जाने हेतु रैस्पो0 को भूमि की आवश्यकता थी जो मु0नं0 46 के किला नम्बर 13 पर पूर्वी सीमा पर मन्जूर करने से केवल मात्र 1 बीघा में रास्ता मन्जूर कर दी जा सकती है, इस तथ्य को अनदेखा करते हुये अपीलार्थी के खेत के मध्य में किला नम्बर 3, 9, 10, 12 जो रास्ता मन्जूर किया है वह रैस्पो0 के लिये उद्देश्यहीन है। योग्य विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है कि अपीलार्थी को उसके खेत में जाने हेतु मुख्य सडक में से जाने हेतु केवल मात्र किला नम्बर 3, 4, 5 में से ही रास्ता बनता है । रास्ता उपनिवेशन शर्ता नियम 1955 की शर्त 8(2) के अनुसार रास्ता मन्जूर करने हेतु सडक को सडक से तथा गॉव को गॉव से मिलाये जाने के प्रावधान हैं ना कि ढाणी को ढाणी से। इस प्रकार मुख्य सडक से रास्ता ना मिला कर मु0नं0 47 में स्थित अन्य ढाणी से रास्ता जोड दिया है जो विधि विरुद्ध है, जब कि मु0नं0 47 में हो कर गॉव हरिपुरा कोई रास्ता नहीं जाता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि

अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें और निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मु0नं0 46 के किला नम्बर 3, 4, 5 में से 1–1 बिस्वा व रैस्पो0 के प्रार्थनापत्र पर मु0नं0 46 के किला नम्बर 13 की पूर्वी सीमा पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाये।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण किया है और इसके उपरान्त विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुये आदेश दिनांक 21–03–2003 पारित किया है। विचारण न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दोनों प्रार्थना पत्रों को तय किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण में विधिवत परीक्षण करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया है। दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं और जहॉ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की कानून सम्बन्धी भूल नहीं हो वहॉ द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि उसकी भूमि पर पहुॅचने के लिये मु0नं0 46 के किला नम्बर 3, 4, 5 में से उसे रास्ता स्वीकृत किया जाये। जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार मु0नं. 46 में किला नम्बर 5, 1, 2, 10, 9, 8, 11, 12, 13, 20 तथा मु0नं0 35 में किला नम्बर 9, 8, 7, 15 प्रार्थी गुलाबराम की भूमि हरे रंग में होना दर्शाया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी–रैस्पो0 गिरधारी वल्द गोपीराम द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है

कि मु0नं0 46 के किला नम्बर 8, 9, 10 की दक्षिणी सीव पर पश्चिम से पूर्व व किला नम्बर 12 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाये। जो नक्शा पत्रावली पर उपलब्ध है उसमें मु0नं0 46 में किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 19, 18 नीले रंग में अप्रार्थी के पिता गोपीराम की भूमि दर्शाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुये जो आदेश पारित किया है उसके अनुसार मु0नं. 47 के किला नम्बर 7, 6 मु0नं0 46 के किला नम्बर 10 में दक्षिण दिशा की ओर तथा मु0नं0 46 के किला नम्बर 12 में पश्चिम दिशा की ओर प्रत्येक किला नम्बर में 0.012 है0 रास्ता तथा उक्त दोनों रास्तों को मिलाने के लिये मु0नं0 46 के किला नम्बर 9 में 0.002 है0 का रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय इस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया है कि किला नम्बर 6 व 5 के पूर्वी दिशा में हो कर पुख्ता सडक बनी हुई है और इस मुख्य सडक से रास्ते को ना मिला कर मु0नं0 47 में स्थित अन्य ढाणी से रास्ता इस पुख्ता सडक के विपरीत दिशा में जाते हुये आक्षेपित आदेश के द्वारा दोनों पक्षों के लिये रास्ते स्वीकृत किये गये हैं, जो कि भौतिक स्थिति से मेल नहीं खाता है और इससे दोनों पक्षों को वांछित अनुताष प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण में विस्तृत परीक्षण किये बिना ही विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट कर दिया है। फलतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये विचारण न्यायालय के स्तर से पुनः परीक्षण कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

8– फलतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–07–2004 एवं सहायक कलक्टर, संगरिया के आदेश दिनांक 21–03–2013 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर, संगरिया को प्रति प्रेषित किया जा कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्वयं मौके पर जा कर उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण

करें और मौके की वास्तवित स्थिति को रिकार्ड पर लेवें, तत्पश्चात् प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारण करें। उभय पक्ष दिनांक ..... को अधीनस्थ सहायक कलक्टर, संगरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें और निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मु0नं0 46 के किला नम्बर 3, 4, 5 में से 1–1 बिस्वा व रैस्पो0

के प्रार्थनापत्र पर मु0नं0 46 के किला नम्बर 13 की पूर्वी सीमा पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाये।

कृषि भूमि के पैट्रौल पम्प हेतु अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन पत्र विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि त्रैंजींद स्ंदक त्मअमदनम ;।ससवजउमदजए ख्गगग, ंदक त्महनसंतपेंजपवद वि ।हतपबनसजनतंस स्ंदक वित ब्वदेजतनबजपवद वि ब्पदमउें ख्गगग, ंदक मेजंइसपेीउमदज वि च्मजतवस च्नउच वत ख्डमकपबंस बिपसपजपमे, ख् वत म्गचसवेपअम डंह्रंपदम,द्ध त्नसमए 1978 के तहत प्रस्तुत किया गया आवेदन है। जिला कलक्टर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 1–10–2005 के तहत प्रार्थी के आवेदन पत्र को खारिज किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (ख) के प्रावधानों के तहत स्पष्ट रुप से प्रावधित किया गया है कि "बन्दोबस्त से सम्बन्ध नहीं रखने वाले मामलों में किसी सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को अनुज्ञात होगी।" स्पष्ट है कि जिला कलक्टर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 1–10–2005 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किया गया आदेश है, जिसे प्रशानिक आदेश मान कर, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील योग्य आदेश नहीं मानते हुये आदेश पारित किया है जो कि उचित नहीं है।

8– फलतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 4–2–2006 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें प्रति प्रेषित किया जा कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारण करें। उभय पक्ष दिनांक ..... को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)

सदस्य

प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी–गैरनिगराकार संख्या–1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत किया जिसमें चक 4 बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के मिला नम्बर 25 में पूर्वी साईड में रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 15–01–2016 द्वारा आदेश पारित किया जिसके अनुसार चक 4 बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के मिला नम्बर 25 में पूर्वी साईड में 1 बिस्वा एवं मु0नं0 46 की पूर्वी उत्तर कॉर्ट में से 8–(ग 8–(फुट रास्ता मौके की स्थिति के विपरीत स्वीकृत किया गया है। मु0नं0 45 के उत्तरी साईड व मु0नं0 37 के दक्षिणी तरफ से रास्ता आ रहा है जो सीधा मु0नं0 36 के दक्षिणी व 46 के पूर्व की तरफ जहॉ मु0ंन0 36 के किला नम्बर 24 व 25 हैं के दक्षिणी साईड से आगे किला नम्बर 23 एवं 22 की तरफ सीधा जाता है। प्रार्थी–गैर निगराकारान की खातेदारी के खसरा नम्बर 22 व 23 में जाने आने के लिये यह रास्ता सीधा पडता है। तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट में यह रास्ता पूर्व से ही चालू होना अंकित किया गया है। अतः नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा यह तथ्य रखा गया था कि खसरा नम्बर 25 में पूर्वी तरफ प्रार्थी के पूर्वजों की समाधियां बनी हुई हैं, जिनसे प्रार्थी की आस्था जुडी हुई है और जिन्हें तोडना उचित नहीं है। जब पूर्व से सीधा रास्ता मौजूद है तो प्रार्थी–गैरनिगराकार की सुविधा के लिये किसी की आस्था को तोड कर नया रास्ता स्वीकृत किया जाना धारा

251 की मूल मंशा के विपरीत होगा। आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही प्रभावित काश्तकारों को उनकी रास्ते में गई भूमि का वर्तमान डी.एल. सी. दर से मूल्यांकन कर आवेदक से राशि वसूल कर संबंधित को प्रतिकार अदायगी करवाने की शर्त पर दिया जा सकता है, किन्तु विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु को परीक्षण नहीं किया है कि आया पूर्व से कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं और क्या प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यान्तिक आवश्यकता हेतु था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से पारित किये गये निर्णय को पुष्ट करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी व वैधानिक भूल की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाते हुये, क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करते हुये आदेश पारित किया है। फलतः निगरानी स्वीकार कर करते हुये उक्त दोनों आदेशों तथा प्रार्थना पत्र धारा251–ए को निरस्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार किया जाये।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–गैर निगराकार का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत किया जिसमें चक 4 बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के किला नम्बर 25 में पूर्वी साईड में रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 15–01–2016 द्वारा आदेश पारित किया जिसके अनुसार चक 4 बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के मिला नम्बर 25 में पूर्वी साईड में 1 बिस्वा एवं मु0नं0 46 की पूर्वी उत्तर कॉट में से 8–(ग 8–(फुट रास्ता मौके की स्थिति के विपरीत स्वीकृत किया गया है। निगरानी का स्कोप अन्यन्त सीमित है और इसमें उसी सीमा तक हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी या तात्विक अनियमितता की गई हों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं होने से निगरानी खारिज की जाये।

उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावलियों व सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी–गैर निगराकार द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के तहत रास्ते हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थना पत्र के मद संख्या–1 में अकित किया है कि चक 4 एच बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के किला नम्बर 11 में 0.126 है., 16 ता 19 में 1.012 है0, किजा नम्बर 20 में 0.126 है0, किला नम्बर 22, 23 में 0.506 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है। प्रार्थना पत्र के अनुतोष में चक 4 एच बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के किला नम्बर 25 में पूर्वी साईड में रास्ता स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 15–01–2016 द्वारा चक 4 बडा के खाता संख्या 66/57 मु0नं0 36 के मिला नम्बर 25 में पूर्वी साईड में 1 बिस्वा एवं मु0नं0 46 की पूर्वी उत्तर कॉूट में से 8–(ग 8–(फुट रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार मु0नं0 45 के उत्तरी साईड व मु0नं0 37 के दक्षिणी तरफ सीधा रास्ता दर्शाया गया है जो सीधा मु0नं0 36 के दक्षिणी व 46 के पूर्व की तरफ जहॉ मु0ंन0 36 के किला नम्बर 24 व 25 हैं के दक्षिणी साईड से आगे किला नम्बर 23 एवं 22 की तरफ सीधा जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं और दैनिक डायरी पटवारी हल्का मोहनपुरा की प्रस्तुत की है जिसमें अंकित किया है कि “मु0नं0 36 किला नं. 24, 25 की दक्षिण साईड में चिपता हुआ रास्ता पूर्व में चालू होना बताया। किला नम्बर 22, 23 में रास्ता चल रहा है अतः मौके पर ट्रैक्टर चला कर किला नम्बर 24–25 की दक्षिण दिशा में 1–1 बिस्वा पूर्व में चालू रास्ता खुलवाया गया” प्रार्थी–गैर निगराकारान की खातेदारी के खसरा नम्बर 22 व 23 में जाने आने के लिये यह रास्ता सीधा भी पडता है। खसरा नम्बर 25 में पूर्वी तरफ रास्ता अंकित किया जा रहा है जब कि इसमें प्रार्थी के पूर्वजों की

समाधियां बनी होना बताया गया है और न्यायालय के समक्ष इसके फोटो व सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडांवाली की लिखित भी प्रस्तुत किये गये हैं।

धारा 251–ए के प्रावधानों के तहत नवीन रास्ता निकालने/चौडा करने के लिये दो चीजें आवश्यक है – आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये एवं विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए।

इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 में भी किया गया है जो इस प्रकार है :–

ष्69. म्दुनपतल ंदक कपेचवेंस वि ंचसपबंजपसवद . व्द तमबमपचज वि ंद ंचसपबंजपवद ....जीम ैनइ.क्पअपेपवदंस वंपिबमत ंजिमत ंपिवितकपदह ंद वचचवतजनदपजल वि इमपदह ीमंतक जव जीम चंतजपमे ंदक ंजिमत उंापदह ेनबी नितजीमत मदुनपतलए ें ीम जीपदो दमबमेंतलए पि ेंजपेपिमक जींज –

;पद्ध जीम दमबमेपजल पे ंइेवसनजम दमबमेपजल ंदक पज पे दवज वित उमतम बवदअमदपमदज मदरवलउमदज वि ीवसकपदह य ंदक

;पपद्ध चंतजपबनसंतलसल पद बेंम वि ं दमू ूंल जीतवनही ंदवजीमत ींजमकंतश ीवसकपदहए जींज ंइेमदबम वि ंसजमतदंजपअम उमंदे वि ंबबमे पे चतवअमक उंल ंससवू जीम ंचसपबंजपवदण .....ष

इस प्रकार नियम 69 के अनुसार भी स्पष्ट किया गया है कि 1. आवश्यकता परम आवश्यक है तभा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं 2. किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 40 उन्वानी उमाराम व बृजलाल व अन्य से भी इसकी पुष्टि होती है कि जहॉ पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहॉ किसी पक्ष विशेष की सुविधा मात्र के लिये नवीन रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, नवीन रास्ता आत्यान्तिक आवश्यकता होने की स्थिति में ही स्वीकृत योग्य है।

हस्तगत प्रकरण के परीक्षण में यह बिन्दु सामने आया है कि धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर गहनता से विचार नहीं किया है और यह नहीं देखा है कि प्रार्थी–गैर निगराकार के खातेदारी की भूमि पर उसके पहुॅचने के लिये पहले से ही रास्ता स्वीकृत है या नहीं, जो कि पटवारी हल्का की दैनिक डायरी दिनांक 5–7–2015 में स्वीकृत होना बताया गया है। साथ ही इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया है कि खसरा नम्बर 25 की पूर्वी दिशा में हो कर रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थी–निगराकार के पूर्वजों की मुड्डियां आदि तोडनी पडेंगी और उसे न सिर्फ अपरमित क्षति होगी बल्कि यह प्रार्थी की आस्था का बिन्दु है। अतः प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत निगरानी को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

फलतः निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जा कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 251–ए के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्धारित प्रकरण में स्वयं/तहसीलदार या भू अभिलेख निरीक्षक से पुनः विधिवत मौका निरीक्षण करावें और उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में मु0नं0 36 के किला नं. 24, 25 की दक्षिण साईड में चिपता हुआ रास्ता पूर्व में जो पुराना रास्ता होना बताया है जो किला नम्बर 22, 23 में रास्ता चल रहा है, के सम्बन्ध में परीक्षण उपरान्त कार्यवाही करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक ..... को उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें। पत्रावली फैसलशुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)

सदस्य

धारा 251–क के प्रावधान इस प्रकार से हैं :–

251–क अन्य खातेदार की जोत में से हो कर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना– 1. जहॉ

क– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से हो कर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

ख– कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुॅचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से हो कर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्धमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है –

और मामला पारस्पिरिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संबंधित जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि :–

प– यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है और

पप– अन्य खातेदार की जोत में से हो कर, विशिष्ट रुप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया है,
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से हो कर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रुट से हो कर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिये या विद्धमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से हो कर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार, मंजूर किया, ऐसे प्रतिकार के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखा में ‘‘रास्ता‘‘ के रुप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिये अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के

आधार पर उस जोत में, जिसमें से हो कर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

तहसीलदार, राजस्थान नहर परियोजना, सूरतगढ नं0–1 के व उपनिवेशन आयुक्त द्वारा सूरतगढ रोही के खसरा नं0 272/3 में 30 बीघा व 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी, जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा। प्रश्नगत भूमि संवमत 2021 में आवंटित हुई व संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा। दिनांक 04–4–2006 को तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपीलांट को एक नोटिस इस आशय का जारी किया कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की शर्तो का उल्लंघन किया गया है तथा भूमि शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ब्रेस्टलैण्ड हेतु बने नियमों के नियम 1996 के अन्तर्गत उक्त रकबा खारिज किया जाता है और तत्पश्चात तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा दिनांक 07–9–2006 को प्रार्थी का रकबा खारिज करने व कब्जा बहक सरकार लिये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 8–2–2006 केवल वेस्ट लैण्ड आवंटन के

सम्बन्ध में है और अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार (अ) राज0 भू राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि आवंटन) नियम–1986, (ब) राज0 भू राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम–1996 (स) राज0 भू राजस्व (डियरी, कुक्कुट और सुअर पालन हेतु आवंटन) नियम–1958 पर ही लागू होगा जब कि प्रार्थी को किया गया आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत नहीं किया गया है, अतः इस पर परिपत्र दिनांक 8–2–2006 लागू नहीं होगा।